अतिमहत्वपूर्ण / Legal Monitoring System module / परिपत्र

प्रेषक,

निदेशक, मत्स्य,
उ0प्र0,लखनऊ।

सेवा में,

1– समस्त उप निदेशक, मत्स्य उत्तर प्रदेश।

2– समस्त सहायक निदेशक मत्स्य / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या– /स्था0शा0/कोर्टकेस/लीगल वेब पोर्टल दिनांक– 23/8/2022

विषय– विभागीय वेब पोर्टल http:/fymis.upsdc.gov.in के Legal Monitoring System मॉड्यूल पर वाद सम्बन्धी विवरण/सूचनाओं की प्रविष्टि एवं उन्हे अद्यतन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयांकित निदेशालय पत्र संख्या–1610/स्था0शा0/कोर्टकेस दिनांक 29.06.2020, पत्र संख्या–3707/स्था0शा0/कोर्टकेस दिनांक 01.10.2020 एवं तत्क्रम में पुनः प्रेषित पत्र संख्या–3707/स्था0शा0/कोर्टकेस दिनांक 01.10.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा **विभागीय वेब पोर्टल (मुख्य यू0आर0एल0–http:/fymis.upsdc.gov.in)** के अन्तर्गत विकसित **Legal Monitoring System मॉड्यूल** पर सम्बन्धित मण्डलीय/जनपदीय कार्यालय द्वारा ***अपने मण्डल/जनपद से सम्बन्धित विभिन्न वादों की पूर्ण विवरण/सूचना प्रविष्ट करते हुये अग्रेतर आने वाली सूचनाओं को अद्यतन करने एवं उक्त आधार पर मासिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने का कार्य*** अभियान चलाकर सुनिश्चित करने सम्बन्धी निरन्तर विस्तृत निर्देश दिये गये है।

उल्लेखनीय है कि उक्त पत्रों द्वारा पूर्व में समय–समय पर प्रकरण में ***स्पष्ट एवं कड़े निर्देश जारी किये जा चुकने के पश्चात भी आपके स्तर पर उक्त कार्य में प्रगति नही हो रही है,*** फलस्वरुप में विभाग से सम्बन्धित विभिन्न न्यायालयों में दाखिल होने वाले, विचाराधीन एवं निस्तारित वादों के ***विभागीय Legal Monitoring System मॉड्यूल के माध्यम से अनुश्रवण का कार्य प्रारम्भ किया जाना अभी तक संभव नहीं हो पाया है, जो विभागीय मुकदमों में अपेक्षित कार्यवाहियों को ससमय पूर्ण कराये जाने एवं उनके सम्यक् अनुश्रवण हेतु शासकीय हित में उचित नही है।***

उक्त संदर्भ में **विभागीय समीक्षा बैठकों के दौरान भी निदेशालय स्तर से आपको अगवत कराया गया है** तथा ज्ञातव्य को कि तद्नुसार **उक्त स्थिति की विभागीय समीक्षा बैठकों में निरन्तर समीक्षा/अनुश्रवण किया जायेगा।** अतः उक्त संदर्भ में पुनः अपेक्षा की जाती है कि कृपया निदेशालय के उक्त पत्रों में दिये गये निर्देशानुसार **प्राथमिकता के आधार पर अभियान चला कर** अपने मण्डल/जनपद से सम्बन्धित विभिन्न वादों की प्रश्नगत Legal Module पर प्रविष्टियां पूर्ण कराने, तथा नई सूचनाओं को अद्यतन करने का कार्य **प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से** पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, ***ताकि आगामी माह से उक्त Legal Module के माध्यम से मा0 न्यायालयों में लम्बित, निस्तारित एवं प्राप्त होने वाले वादों की सूचना प्राप्त की जा सके एवं अनुश्रवण की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जा सके।*** उक्त कार्य में सुगमता एवं एकरुपता हेतु पोर्टल पर निदेशालय स्तर से **कतिपय वादों की पूर्ण प्रविष्टियों की सूची मार्गदर्शक सैम्पल–रिपोर्ट** के रुप में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

Signed by Puneet Kumar
Date: 22-08-2022 18:38:06
Reason: Approved

(पुनीत कुमार)
उप निदेशक मत्स्य (मुख्यालय)
कृते निदेशक मत्स्य,उ0प्र0,लखनऊ।

पत्र संख्या– 2837 /स्था0शा0/कोर्ट केस दिनॉक –उक्त।

प्रतिलिपि विशेष सचिव, मत्स्य विभाग, उ0 प्र0 शासन, सचिवालय लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2– **उप निदेशक मत्स्य, सहकारिता/सहायक निदेशक मत्स्य (सामान्य शाखा), मुख्यालय** को इस आशय से प्रेषित कि उक्त संदर्भ में उपरोक्त पत्र दिनांक 29.06.2020 एवं पत्र दिनांक 01.10.2020 के अनुपालन में आपके नियंत्रणाधीन शाखा से संबंधित वादों के संदर्भ में यथा निर्देशित उपरोक्त कार्य व्यक्तिगत ध्यान देकर सुनिश्चित करायें।

3– वेब आफिसर, मुख्यालय को विभाग की वेबसाइट पर उक्त पत्र की प्रति अपलोड करने हेतु।

3488/2022/EST

विधिक सूचना प्रणाली

मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार

वाद की सूची

रिपोर्ट मापदंड———

जिला: GHAZIPUR

क्र सं०	वाद संख्या	वादी	प्रतिवादी	वर्ष	न्यायालय	वाद का प्रकार	विषय	शपथ पत्र दिनांक	वाद का विवरण	वाद की स्थिति
1	विशेष अपील (डिफेक्टिव)/380/2021	उ0प्र0 राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग उ0प्र0 शासन, सचिवालय लखनऊ, 2- निदेशक, मत्स्य विभाग,	देवेन्द्र नाथ राय	2021	मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद	विशेष अपील (डिफेक्टिव)	श्री देवेन्द्र नाथ राय, सेवा निवृत्त मत्स्य प्रसार सहायक, कार्यालय मत्स्य पालक विकास अभिकरण, गाजीपुर द्वारा अभिकरण गाजीपुर के सेवानिवृत्त कार्मिक के रुप में प्रस्तुत ग्रेच्युटी के भुगतान के दावे के सम्बन्ध		याची श्री देवेन्द्र नाथ राय, सेवा निवृत्त मत्स्य प्रसार सहायक, कार्यालय मत्स्य पालक विकास अभिकरण, गाजीपुर द्वारा अभिकरण गाजीपुर के सेवानिवृत्त कार्मिक के रुप में भारत सरकार के पेमेन्ट आफ ग्रेच्युटी एक्ट-1972 के अन्तर्गत प्रस्तुत ग्रेच्युटी के दावे के सम्बन्ध में रिट याचिका संख्या-ए-50704/2017 देवेन्द्र नाथ राय बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य को स्वीकार (ससमूलक) करते हुये पारित निर्णय दिनांक 17.01.2020 के विरुद्ध विशेष अपील योजित की गयी है, क्योंकि प्रश्नगत निर्णय दिनांक 17.01.2020 अभिकरण, गाजीपुर में पेमेन्ट आफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 की प्रयोज्यता के संदर्भ में एक्ट की धारा-1(3)(सी) सहपठित धारा-2(मद्ध के संगत अनिवार्य प्रावधानों की अनदेखी करते हुये उक्त धाराओं के विपरीत पारित किया गया है तथा आदेश में अभिकरण गाजीपुर में 15 कार्मिक (जिनमें प्रश्नगत ग्रेच्युटी एक्ट से अनाच्छादित 12 विभागीय कार्मिक सम्मिलित हैं) को ग्रेच्युटी एक्ट की प्रयोज्यता के संदर्भ में कार्यरत मानते हुये त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष दिया गया है।	विचाराधीन